न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 20/2021 (2021/32)

अपीलान्ट्स

श्रीमती विद्यादेवी पत्नी स्व0 मदरूपराम, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी – गांव पाल, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. संतोकसिंह पुत्र जसाराम, जाति माली, निवासी– गांव पाल, तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आदेश न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2021 क्रमांकःराजस्व/2021/264 पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री महेश महेता (अपीलान्ट्)।
2. अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार (रेस्पोडेन्ट संख्या 01)

–: आदेष :– दिनांक :– 23.07.2021

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/21/771 दिनांक 24.06.2021 की अनुपालना में अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 14.07.2021 को सुनी गई।

संक्षिप्त में अपील अपीलान्ट तथ्य इस प्रकार है कि अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 14.06.2021 आदेश क्रमांकःराजस्व/2021/264 पारित किया गया, के विरूद्ध में की है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 तहसीलदार जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " मेरी खातेदारी भूमि ग्राम पाल के खसरा संख्या 27 में आई हुई है जिसमें पहुंच हेतु मार्ग खसरा संख्या 28/1 रकबा 0.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता को स[ंख]्या 28 के खातेदारों द्वारा अवरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते को मौके पर खुलवाकर हमें राहत प्रदान करावें। " तहसीलदार जोधपुर द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र मूल पर ही दिनांक 14.06.2021 को हल्का पटवारी पाल को प्रेषित कर नियमानुसार बन्द रास्ते को खुलवाकर पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये और ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है।

दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्रावली संख्या 2092/83 निर्णय दिनांक 19.5.83 से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण मे खसरा नम्बर 28 में खसरा नं0 28/1 गै. मु. रास्ता के रूप मे नामन्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.06.83 भरा गया है तथा रेस्पोडेन्ट के अनुसार सभी समर्पण सुदा खसरों का रकबा गै. मु. रास्ता दर्ज किया गया है तथा अपीलाण्ट की तरफ से प्रकरण संख्या 2092/83 निर्णय दिनांक 19.5.83 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिनांक 24.06.2021 को किया गया लेकिन अपीलान्ट को उक्त पत्रावाली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो पाई है।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कहा कि जिस पत्रावली को अपीलार्थी द्वारा तलब करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है उस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.06.83 को स्वीकृत किया गया है अगर प्रार्थी उक्त आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो उसकी अपील सक्षम न्यायालय में पेश करनी चाहिए। चूँकि अपीलार्थी जिस अभिलेख को तलब कराना चाहता है प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक नहीं समझते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रार्थी अभिभाषक ने निम्न दस्तावेज पेश किये :–

1. बेचाननामा दिनांक 15.09.83 की फोटोप्रति।
2. नामान्तरकरण संख्या 574 की फोटोप्रति।
3. एतराज प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.06.2021 की फोटोप्रति।
4. मूल प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.06.2021 की फोटोप्रति।
5. कार्यालय आदेश दिनांक 17.06.2021 की फोटोप्रति।
6. जमाबन्दी दिनांक 09.06.2021 की फोटोप्रति।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक ने निम्न दस्तावेज पेश किये :–

1. नामान्तरकरण संख्या 571 की फोटोप्रति।
2. नामान्तरकरण संख्या 574 की फोटोप्रति।
3. नामान्तरकण संख्या 579 की फोटोप्रति।
4. जमाबन्दी खसरा नं0 25/1, 28/1
5. नकल नक्शा किश्तवार।
6. जमाबन्दी खसरा नं0 28/1
7. मौका फर्द दिनांक 16.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

8. नकल तरमीम शुदा नक्शा
9. जमाबन्दी खाता संख्या 1385
10. नकल नक्शा सन् 1998
11. आदेश तहसीलदार दिनांक 17.06.2021
12. नकल आदेश उपखण्ड अधिकारी दिनांक 23.06.2021
13. नकल पत्र तहसीलदार दिनांक 22.06.2021
14. बिजली बिल
15. खसरा नं0 27 की भूमि के मौके के छायाचित्र
16. अतिक्रमित रास्ते के छायाचित्र।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा पुलिस इमदाद का आदेश दिये जाने के पूर्व किसी प्रकार कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि नामान्तरकरण संख्या 574 के जरिये खसरा संख्या 28 की कुल भूमि रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा पूर्व खातेदार छेलाराम के नाम दर्ज थी और उसी आधार पर अपीलान्ट ने खसरा संख्या 28 की भूमि छेलाराम से खरीद की। हल्का पटवारी ने यह जांच भी नहीं की कि खसरा संख्या 28 की भूमि का सीमाकंन कहा तक है। अतः हल्का पटवारी अथवा तहसीलदार की ओर से खसरा संख्या 28 की खातेदारी भूमि की तरमीम किये बिना ही यह कैसे मान लिया गया कि खसरा संख्या 28 के खातेदार ने रास्ता अवरूद्ध किया है।

अपीलार्थी अभिभाषक ने बहस में आगे कहा कि अपीलान्ट द्वारा हल्का पटवारी पाल जोधपुर से राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 28/1 की नकले प्राप्त की गई तो अपीलान्ट को जानकारी हुई की तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा खसरा संख्या 28/1 का नामान्तरकरण दिनांक 31.08.83 को रास्ते का म्यूटेशन अमल दरामद करना बताया। जो कि खसरा संख्या 28 के रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा भूमि से कम किया जाकर 7 बिस्वा भूमि रास्ते में दिया जाना बताया जबकि छैलाराम के द्वारा अपीलान्ट व उसके पुत्र महेन्द्र के हक में रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बेचाननामा निष्पादित किया गया। नामान्तरकरण संख्या 574 दर्ज होने के समय छेलाराम के हिस्से में आई खसरा संख्या 28 की कुल भूमि रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा से कम होती तो राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 574 दर्ज करते समय इस बात का उल्लेख किया जाता। राजस्व रिकॉर्ड से यह कही पर भी स्पष्ट नहीं है खसरा संख्या 28 की भूमि को आवाप्त करने की कार्यवाही अमल में लाई गई हो और खाताधारक को मुआवजा दिया गया हो। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि छेलाराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 28 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा से कम होती तो नामान्तरकरण संख्या 574 दिनांक 06.09.83 को दर्ज नहीं किया जाता और ना ही छेलाराम द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि का बेचान किया जाता। इससे [illegible] कि खसरा संख्या 28 के खातेदारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

को शुरू से ही उक्त कार्यवाही से अनभिज्ञ रखा गया तथा अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर सही नामान्तरकरण में कम जमीन बताकर अमल दरामद किया गया। खसरा नं0 28 की भूमि का समर्पणनामा न तो छैलाराम द्वारा निष्पादित किया गया, न ही अपीलान्ट द्वारा निष्पादित किया गया तो उक्त जमीन बिना विधिक प्रक्रिया के रास्ते हेतु अधिग्रहित कर ली गई जिसमें खातेदारान् की किसी प्रकार से कोई सहमति नहीं ली गई।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में निरन्तर में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा दिनांक 02.07.2013 को खसरा संख्या 25 व 27 ग्राम पाल में रास्ते की भूमि की पुनः तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये थे लेकिन हल्का पटवारी पाल द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को सूचना दिये बिना उसकी अनुपस्थिति का गलत फायदा उठाते हुए आदेश दिनांक 02.07.2013 की आड में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 28 की भी तरमीम करना बता दिया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा सुनवाई हेतु युक्ति युक्त अवसर की मांग की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसके समर्थन में न्यायिक निर्णय त्त्व 2012 च।ळ॰ छ॰ 126 पेश करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश का अपास्त करने की प्रार्थना की।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने लिखित आपत्तियाँ पेश कर बतलाया कि खसरा नं0 25, 30, 28, 23, 15, 17, 18 गांव पाल के सह खातेदारन जिनमें एक सह खातेदार छैलाराम पुत्र मोतीराम था ने खसरा 25, 28, 17, 23, 24, 18 में से भूमि के खातेदारी अधिकार रास्ते हेतु संयुक्त रूप से समर्पित किये जिसमें खसरा संख्या 28 की 07 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित थी। इसके आधार पर सन् 1983 में उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.06.83 को स्वीकार किया एवं सभी समर्पणशुदा खसरों का रकबा गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर दिया गया एवं जमाबन्दी में इसी अनुसार रास्ते की भूमि का इन्द्राज कर दिया। समर्पण सुदा रकबे का लगान कम दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 571 की पुश्त पर उपरोक्त रास्ते को दर्शाते हुए तरमीम दर्शा दी गयी एवं राजस्व नक्शे में पुख्ता तरमीम कर दी गई। इसके तुरन्त बाद ही सह खातेदारान् की बीच आपसी सहमति से संयुक्त जोत का विभाजन किया गया। विभाजन आदेश के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 574 दिनांक 06.09.83 को स्वीकार किया गया जिसमें खसरा नं0 28 छैलाराम के हिस्से मे माफिक विभाजन रखा गया। छैलाराम द्वारा खसरा नं0 28 में अपने अधिकारों का हस्तान्तरण करने के परिणामस्वरूप नमान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 04.01.84 को क्रेतागण के नाम स्वीकार किया गया। बेचाननामा दिनांक 17.09.83 के आाधार पर नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 04.01.84 को स्वीकार करते समय राजस्व कर्मचारियों के यह ध्यान में आया कि खसरा नं0 28 रकबा 30 बीघा 07 बिस्वा का ही छेलाराम खातेदार था क्योंकि पूर्व में ही इसका 07 बिस्वा रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्या 571 के रास्ते में दर्ज किया जा चुका है, इस कारण नामान्तरकरण संख्या 579 की स्वीकृति के [illegible] पर इस बाबत् नोट अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

गया एवं क्रेता श्रीमती विद्यादेवी के नाम से सन् 1984 से ही उक्त 30 बीघा 07 बिस्वा रकबा विद्यादेवी वगैरा के नाम दर्ज है जिसकी जानकारी उन्हे प्रारम्भ से थी एवं उनका कब्जा भी 30 बीघा 07 बिस्वा पर ही बाद बेचान रहा है। खसरा नं0 28/1 रकबा 07 बिस्वा गै0 मु0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं रास्ता सन् 1983 से निर्बाध रूप से मौके पर चल रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 27 में इसी रास्ते से वर्षो से आवागमन करता आ रहा है। अपीलार्थी ने अकस्मात गै0 मु0 रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास किया। रास्ते की भूमि को अवरूद्ध करने का अपीलार्थी को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा तहसीलदार के समक्ष केवल आवेदन इस बाबत् किया था कि गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अपीलार्थी अतिक्रमण करना चाहते है जिस अतिक्रमण को हटाया जावें। उक्त कार्यवाही धारा 251 आर0 टी0 एक्ट0 के तहत नहीं थी बल्कि सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रारम्भ की गयी। अपीलार्थी ने धारा 225 आर. टी. एक्ट. के तहत अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में वर्णित कोई प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के समक्ष नहीं था एवं न कोई आदेश पारित किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थी इस मामले में व्यथित पक्षकार नहीं हैं क्योंकि खसरा नं0 28/1 की भूमि गै0 मु0 रास्ते की भूमि है एवं उस पर अतिक्रमण कर रास्ता रोकने का अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से अपीलार्थी को व्यथित नहीं माना जा सकता है एवं इसी बिनाय पर अपीलार्थी की वर्तमान अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार ग्राम पाल के नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 21.06.83 के अनुसार छैलाराम के खातेदारी खसरा नं0 28 की कुल भूमि में से 07 बिस्वा भूमि उपजिलाधीश जोधपुर के आदेश क्रमांक/रेवे/83/2092 दिनांक 19.05.83 की पालना में रास्ते के लिये राज्य सरकार के पक्ष में स्वीकार किया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में छैलाराम द्वारा बेचान करने पर खसरा नं0 28 की शेष भूमि 30 बीघा 07 बिस्वा मानते हुए अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 04.01.84 स्वीकार किया गया जिस पर नोट भी लगा हुआ है अर्थात् प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी को वर्ष 1984 से ही जानकारी थी तथा कब्जा भी 30 बीघा 07 बिस्वा पर ही चला आ रहा है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से RRD 2012 PAGE NO 126 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर ध्यान दिलाया। माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय में भूमि का बंटवाड़ा पर दिनांक 12.12.63 के अनुसार 45 वर्ष से चलते हुए रास्ते को किसी खातेदार ने बन्द करने तथा दूसरे काश्तकार को उसकी कृषि भूमि पर आने–जाने में रूकावट होने पर उपतहसीलदार द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पुनः रास्ता खुलवाने का आदेश सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया। जिसको त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपास्त किया गया परन्तु हस्तगत प्रकरण में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये तहसीलदार ने ऐसा कोई निर्णय पारित नहीं किया। अतः अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर इस प्रकरण पर लागू

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होती है। रेस्पोडेन्ट पक्ष का तर्क है कि तहसीलदार जोधपुर के समक्ष सरकारी रास्ते की भूमि (खसरा नं0 28/1 रकबा 07 बिस्वा) पर अतिक्रमण हटाने का पेश होने पर तहसीलदार जोधपुर ने पटवारी हल्का को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया, उसके विरूद्ध धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील पोषणीय नहीं है। इस तर्क से हम सहमत है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested